इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 344] भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 अगस्त 2021—भाद्र 1, शक 1943

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2021

एफ 5-4-2020-उन्तीस-2.—राज्य सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 102 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (साधारण) नियम, 2021 है.

(2) ये उस दिनांक से प्रवृत्त होंगे जो कि राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा अपेक्षित हो,—

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (2019 का 35);

(ख) 'लोक उपयोगी सेवाएं' से अभिप्रेत है.

(एक) हवाई, सड़क अथवा जल माध्यम से यात्रियों अथवा माल की ढुलाई के लिए परिवहन सेवा; अथवा

(दो) डाक, टेलीग्राफ, टेलीफोन अथवा ब्रॉडबैंड सेवा; अथवा

(तीन) किसी स्थापन द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश अथवा जल अथवा ईंधन अथवा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति; अथवा

(चार) बीमा सेवा; और

(पाँच) किसी प्रमुख पत्तन अथवा डॉक के कार्यकरण में अथवा के संबंध में सेवा;

(2) उन शब्द और अभिव्यक्तियों के, जो इनमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है परन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित हैं.

3. **स्थापनाओं का लोक उपयोगी सेवाएं होना.**—लोक उपयोगी सेवाएं अधिनियम की धारा 2 के खंड (19) के प्रयोजनों के लिए स्थापनाएं होगी.

4. **कतिपय कार्यकलापों को अनुचित व्यापार व्यवहार से छूट दिया जाना.**—प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी उत्पाद की बिक्री, उपयोग अथवा आपूर्ति या किसी व्यवसाय हित को बढ़ावा देने के लिए किए गए निम्नलिखित कार्यकलापों की अनुमति को अनुचित व्यापार व्यवहार के दायरे से छूट प्राप्त होगी, अर्थात् :—

(क) लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1998 का 17) के अधीन अनुज्ञात लॉटरियां; और

(ख) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (1867 का 3) के अधीन गैर-निषिद्ध संयोग अथवा कौशल के खेलों, जो द्यूतक्रीड़ा नहीं हैं और जिनमें सफलता कौशल की पर्याप्त मात्रा पर निर्भर करती है न कि संयोग पर.

5. ऐसा कोई विषय, जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, वही होगा जो कि केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये उपभोक्ता संरक्षण (साधारण) 2020 में उल्लेखित है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमाकान्त पाण्डेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2021

क्र. एफ 5-4-2020-उन्तीस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-4-2020-उन्तीस-2 दिनांक 23 अगस्त 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमाकान्त पाण्डेय, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd August 2021

F. 5-4-2020-XXIX-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (b) of sub-section (2) of Section 102 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Consumer Protection (General) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);

(b) 'Public utility service' means any—

(i) Transport service for the carriage of passengers or goods by air, road or water; or

(ii) Postal, telegraph, telephone or broadband service; or

(iii) Supply of power, light or water or fuel or natural gas to the public by any establishment; or

(iv) Insurance service; and

(v) Serivce in, or in connection with, the working of any major port or dock;

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Public utility services to be establishments.**—Public utility services shall be establishments for the purpose of Clause (19) of Section 2 of the Act.

4. Certain activities to be exempt from unfair trade practice.—Permitting of the following activities carried out for promoting directly or indirectly the sale, use or supply of any product or any business interest shall be exempt from the purview of unfair trade practices, namely :—

(a) Lotteries allowed under the Lotteries (Regulation) Act, 1998 (17 of 1998); and

(b) Games of chance or skill not prohibited under the Public Gambling Act, 1867 (3 of 1867), which are not gambling and wherein success depends on a substantial degree of skill and not chance.

5. If any subject with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as is mentioned in the Consumer Protection (General) Rules, 2020 made by the Central Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
UMAKANT PANDEY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.